UPMZ010080322026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 06, मुजफ्फरनगर।

पीठासीन अधिकारी– (SMT. REKHA SINGH), (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06490

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 3355/2026

अजीमूसान पुत्र तैय्यब, निवासी ग्राम तेवडा, थाना ककरौली, जिला मुजफ्फरनगर।

.....अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा ए.डी.जी.सी. फौजदारी।

अन्तर्गत धारा– 318(4), 336(3), 338,
340(2), 351(2) बी.एन.एस.
मुकदमा अपराध संख्या– 50/2026
थाना– ककरौली, जिला मुजफ्फरनगर।

दिनांक–22.07.2026

1. अभियुक्त अजीमूसान पुत्र तैय्यब जो कि धारा 318(4), 336(3), 338, 340(2), 351(2) बी.एन.एस., थाना ककरौली, जिला मुजफ्फरनगर, अपराध संख्या 50/2026 से संबंधित है, ने जमानत के लिए आवेदन किया है, जो कि उसके पैरोकार द्वारा दिये गये शपथ पत्र से समर्थित है।

2. अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र पर उसके विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

3. संक्षेप में वादी द्वारा प्राथमिकी में कथन किया गया कि प्रार्थी ग्राम तेवडा का रहने वाला है। प्रार्थी के गांव का अहमद पुत्र तैय्यब विदेश सऊदी अरब में कार्य करता है। अहमद के भाई अजीमुसान पुत्र तैय्यब ने प्रार्थी की सऊदी अरब में नौकरी लगवाने के लिये अहमद से बात कराई तो अहमद ने प्रार्थी की नौकरी लगवाने हेतु वीजा टिकट आदि का खर्चा दो लाख रुपये बताया जिस पर प्रार्थी व उसके परिवार वाले तैयार हो गये तथा अहमद के कहने पर कि सवा लाख रूपया पहले देना होगा बाकी के रूपये फ्लाईट के समय देने पड़ेगे, जिस पर प्रार्थी व उसके परिवारवालो ने अहमद पर विश्वास करते हुये दिनांक 15.08.2025 को प्रार्थी ने अपने खाते से अहमद के भाई अजीमुसान के खाते में 64000/– रुपये ट्रांसफर किये तथा दिनांक 17.08.2025 को रिश्तेदारो से उधार लेकर 60000/–रुपये अजीमुसान को नगद भूरा पुत्र आसिफ अली व गांव के जाहिद पुत्र इकबाल के सामने प्रार्थी व प्रार्थी के पिता मौ० रफी ने अपने घर पर दिये तथा अजीमुसान ने प्रार्थी को दो माह में वीजा आने और उसके बाद टिकट आने की बात कहकर प्रार्थी का पासपोर्ट ले लिया। अहमद के सऊदी अरब से वापस आने पर अक्टूबर 2025 में अहमद ने

Digitally signed by REKHA SINGH
Date: 2026.07.22 15:26:10 IST
Reason: Bail Order
Location: District and Sessions Court-6
Muzaffarnagar

प्रार्थी को उसके नाम का वीजा लैटर दिया तथा बाकी रुपये टिकट आदि कराने हेतु देने के लिये कहा जिस पर प्रार्थी ने दिनांक 04.11.2025 को 40000/– रुपये तथा 05.11.2025 को 34000/–रुपये अपने खाते से अहमद के बैंक खाते में ट्रांसफर किये करीब 15 दिन बाद अजीमुसान ने प्रार्थी को Almosafer नामक कम्पनी का टिकट रियाद सऊदी अरब का दिनांक 01/12/2025 का दिया तथा कहा कि ये अहमद भाई ने भिजवाया है। प्रार्थी ने अहमद से फोन पर बात की तो अहमद ने बताया कि ओरिजनल टिकट व वीजा स्टाम्प हुआ तेरा पासपोर्ट तुझे एयरपोर्ट पर मिल जायेगा। प्रार्थी दिनांक 01.12.2025 को सऊदी अरब जाने के लिये दिल्ली एयरपोर्ट पर गया लेकिन ना तो वहां पर प्रार्थी को अजीमूसान ने ओरिजनल टिकट दिया और ना ही प्रार्थी का पासपोर्ट दिया। जिस कारण प्रार्थी सऊदी अरब नहीं जा सका। प्रार्थी ने इस संबंध में अहमद से बात की तो अहमद ने कहा कि में जल्दी ही तेरा पासपोर्ट और नया टिकट तुझे भिजवा दूंगा लेकिन अहमद ने प्रार्थी को ना तो टिकट दिया और ना ही प्रार्थी का पासपोर्ट वापस किया। प्रार्थी को बाद में मामूल हुआ कि अहमद व उसका भाई अजीमूसान ने इसी तरह कई लोगो से रुपये लेकर उनके साथ धोखाधड़ी की हुई है। प्रार्थी ने अहमद व उसके भाई अजीमूसान से अपने 198000/– रुपये तथा पासपोर्ट वापस मांगे तो अहमद ने फोन पर तथा अजीमूसान ने घर पर आकर धमकी दी कि यदि दोबारा रुपये व पासपोर्ट मांगा तो तुझे जान से मार देगे। अहमद व उसके भाई अजीमूसान ने फर्जी वीजा लैटर व टिकट तैयार करके प्रार्थी से उसका पासपोर्ट व एक लाख 98 हजार रुपये धोखाधड़ी करके हड़प लिये है तथा अब वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी दे रहे है। प्रार्थी ने इस सम्बन्ध मे दिनांक 18.03.2026 को भी एक प्रार्थना पत्र दिया था जिस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इसलिये प्रार्थी पुनः यह प्रार्थना पत्र श्रीमान जी के यहा प्रस्तुत कर रहा है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी की रिपोर्ट अहमद व अजीमूसान के खिलाफ दर्ज कराकर सख्त कार्यवाही करने तथा प्रार्थी का पासपोर्ट व 198000/–रुपये इन लोगों से वापस दिलाये जाने संबंधी आदेश थाना ककरौली के नाम देने की कृपा करे अति कृपा होगी।

4. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थी का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी भी न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन नहीं है, न ही खण्डित हुआ है। प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र अवर न्यायालय जे. एम. कोर्ट न. 2 मुजफफरनगर से निरस्त हो चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त ने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्त को उपरोक्त मामले में झूठा फंसाया है। प्रस्तुत प्रकरण की प्रथम सूचना विलम्ब से पुलिस से साज करके झूठे व असत्य आधार पर फर्जी साक्षी बनाकर पंजीकृत करायी गई है। प्रार्थी/अभियुक्त ने किसी भी व्यक्ति के साथ धोखाधडी नहीं की है न ही किसी प्रकार की जान से मारने की धमकी दी है और न ही किसी

प्रकार की कूटरचना व कूटकरण किया है। लगाये गये आरोप कतई गलत व असत्य है। वादी मुकदमा द्वारा जो कथन प्रथम सूचना रिपोर्ट किया है वह गलत है। वादी मुकदमा द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त पर जो आरोप लगाये गये है वह गलत है। वादी मुकदमा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त व उसके भाई ने उसे सऊदी अरब में नौकरी लगवाने के लिए वीजा व टिकट के नाम पर अलग–अलग तिथियों में मुबलिग 1,38,000/–रूपये बैंक ट्रांजक्शन व यू.पी.आई के माध्यम से दिये तथा 60,000/–रूपये नकद बेईमानी से हडप करना बताया है जबकि वास्तविकता यह है कि प्रार्थी/अभियुक्त व वादी मुकदमा एक ही गांव के रहने वाले है। प्रार्थी/अभियुक्त की मुलाकात आरिफ पुत्र नय्यूब उर्फ शक्ति निवासी अम्बहेटा के थाना देवबंद जिला–सहारनपुर के माध्यम से हुई थी। आरिफ द्वारा प्रार्थी अभियुक्त व अन्य लोगों की विदेश नौकरी लगवाने की बात हुई थी। वहां पर वादी मुकदमा भी मौजूद था। उसने भी विदेश जाने की बात कही थी। प्रार्थी ने आरिफ पुत्र नय्यूब उर्फ शक्ति के खाते में दिनांक 15.08.2025 को 80,001 रूपये, दिनांक 16.08.2025 को 70,001/–रूपये, दि0 24.08.2025 को 60,000/–रूपये, दिनांक 02.09.2025 को 35,000/–रूपये, दिनांक 02.09.2025 को 5,000/–रूपये, दिनांक 10.09.2025 को 5,000/–रूपये फोन पे के माध्यम से डाले व दिनांक 25.09.2025 को 60,000/–रूपये नकद ताहिर पुत्र गनी निवासी ग्राम तेवडा के सामने दिये तथा प्रार्थी/अभियुक्त के साथ ही सावेज से उक्त आरिफ ने नकद 50,000/–रूपये गवाहान की मौजूदगी में लिये। इस प्रकार कुल 3,65,002/–रूपये प्रार्थी/अभियुक्त व सावेज ने उक्त आरिफ को विदेश जाने के नाम पर दिये तथा प्रार्थी/अभियुक्त के भाई अहमद ने भी उक्त आरिफ को दिनांक 24.10.2025 को 10,000/–रूपये, दिनांक 30.10.2025 को 25,000/–रूपये, 04.11.2025 को 40,000/–रूपये, दिनांक 05.11.2025 को 15,000/–रूपये, 08.11.2025 को 15,000/–रूपये, 22.11.2025 को 30,000/–रूपये व दिनांक 22.11.2025 को 50,000/–रूपये फोन पे के माध्यम से आरिफ को दिये। इस प्रकार कुल 1,85,000/–रूपये प्रार्थी के भाई अहमद ने आरिफ को दिये। इनमें से कुछ रूपये वादी मुकदमा ने उक्त आरिफ को देने के लिए प्रार्थी/अभियुक्त व प्रार्थी/अभियुक्त के भाई के खाते में डाले थे जो प्रार्थी अभियुक्त व उसके भाई अहमद ने आरिफ उपरोक्त के खाते में डाल दिये थे। प्रार्थी/अभियुक्त व उसके भाई से कुल 5,50,002/–रूपये उक्त आरिफ ने धोखाधडी व बेईमानी से हडप कर लिये है। वादी मुकदमा द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त पर झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है, क्योंकि उक्त धोखाधडी आरिफ पुत्र नय्यूब ने प्रार्थी अभियुक्त व प्रार्थी अभियुक्त के भाई अहमद व वादी मुकदमा मौ.नवाजिश व सावेज के साथ विदेश भेजने के नाम पर की है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कोई धोखाधडी व बेईमानी किसी प्रकार की नहीं की गई है, क्योंकि प्रार्थी/अभियुक्त के साथ खुद विदेश भेजने के नाम पर उक्त आरिफ उपरोक्त ने धोखाधडी की है। वादी मुकदमा प्रथम सूचना रिपोर्ट में जो कथन किया

गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा वीजा व टिकट देना बताया है उपरोक्त वीजा व एक साथ टिकट प्रार्थी/अभियुक्त, वादी मुकदमा व एक अन्य व्यक्ति सावेज उपरोक्त को आरिफ उपरोक्त ने दिया था। प्रार्थी/अभियुक्त खुद पीडित है तथा प्रार्थी/अभियुक्त के साथ आरिफ उपरोक्त ने खुद धोखाधडी व जालसाजी की है। प्रार्थी अभियुक्त के साथ आरिफ ने जो धोखाधडी की है इस सम्बन्ध में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा आरिफ के विरूद्ध थाना हाजा व अन्य उच्चाधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया था तथा उसके बाद न्यायालय में धारा 173(4) बी. एन.एस.एस. का वाद दायर किया है जोकि न्यायालय में विचाराधीन है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा–351(2), 318(4), 336(3), 338, 340(2) बी.एन.एस. का प्रथम दृष्टया अपराध नहीं बनता है। प्रार्थी/अभियुक्त का पूर्व अपराधिक इतिहास नही है न ही प्रार्थी/अभियुक्त पूर्व सजायाफता है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 15.06.2026 से जेल में है। प्रार्थी/अभियुक्त अपनी उचित जमानत देने को तैयार है। जमानत पर छूटने के पश्चात प्रार्थी/अभियुक्त के कही भागने व गवाहान सबूत को तोडने का अन्देशा नहीं है तथा प्रार्थी/अभियुक्त जमानत का दुरूपयोग नही करेगा। प्रार्थना है कि दौरान वाद उपरोक्त मुकदमे में प्रार्थी/अभियुक्त को उचित धनराशि की जमानत पर रिहा करने की कृपा करे।

5. वादी की ओर से आपत्ति करते हुए कथन किया गया है कि प्रार्थी अजीमुशान द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में लिखाये गये सभी तथ्य व आधार झूठे व बेबुनियाद है। जमानत प्रार्थना पत्र की धारा नं0 2 में लिखाया गया यह कथन कि प्रार्थी को गांव की पार्टीबाजी व रंजिश की बिनाह पर बसाज पुलिस झूठा फंसाया गया है गलत व असत्य है। मुलजिम व उसके भाई द्वारा शपथकर्ता के साथ नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधडी करके 1 लाख 98 हजार व पासपोर्ट हड़प लिया तथा फर्जी वीजा व लैटर दिया तथा अब रूपया व पासपोर्ट मांगने पर शपथकर्ता को जान से मारने की धमकी देने पर शपथकर्ता ने मुलजिम व उसके भाई के विरूद्ध सत्य कथनों से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी है। जमानत प्रार्थना पत्र की धारा नं0 3 व 4 में लिखाया गया कथन कतई गलत व असत्य है। शपथकर्ता ने मुलजिम व उसके भाई से कई बार अपने रूपये व पासपोर्ट देने की बाबत कहा लेकिन ये लोग देने से करते रहे। इस पर उनके विरूद्ध प्रार्थना पत्र दिनांक 18.03.2020, 06.04.2016 को दिया जिस पर प्रारम्भिक जांच के उपरान्त उपरोक्त कथन सत्य पाये जाने पर मुकमा उपरीका पंजीकृत किया प्रार्थी/अभियुक्त व उसके भाई अहमद ने शपथकर्ता के साथ धोखाधडी करके व फर्जी जाली व कूटरचित दस्तावेज दिये जाने संबंधी अपराध किया है। प्रार्थी/अभियुक्त व उसके भाई अहमद ने शपयकर्ता से सऊदी अरब में नौकरी लगवाने के नाम पर समय–समय पर कुल 1 लाख 90 हजार रूपया लिया तथा शपथकर्ता को उसके नाम का फर्जी वीजा व टिकट बनाकर दिये। प्रार्थी/ अभियुक्त ने स्वयं को बचाने के लिए आरिफ नामक व्यक्ति के द्वारा धोखाधड़ी करने व फर्जी टिकट वीजा देने की कहानी झूठी व मनघडन्त बनायी

है। शपथकर्ता आरिफ नाम के व्यक्ति से कभी नहीं मिला और ना ही शपथकर्ता की आरिफ से विदेश में नौकरी लगवाने की बाबत कोई बातचीत हुई और ना ही शपथकर्ता ने आरिफ नाम के व्यक्ति को 50 हजार रूपये दिये शपथकर्ता ने समस्त रूपया व पासपोर्ट प्रार्थी/अभियुक्त व उसके भाई अहमद को दिये है। प्रार्थी/अभियुक्त व उसके भाई द्वारा ही शपथकर्ता से सऊदी अरब में नौकरी लगवाने के नाम पर 1 लाख 98 हजार रूपये व शपथकर्ता का पासपोर्ट लिया है तथा प्रार्थी / अभियुक्त व उसके भाई द्वारा ही शपथकर्ता को उसके नाम का फर्जी वीजा व फर्जी टिकट दिया है शपथकर्ता द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त व उसके भाई के विरूद्ध दिनांक 18.03.2026 को प्रार्थना पत्र दिये जाने तथा मुकदमा पंजी कृत होने के उपरान्त प्रार्थी/अभियुक्त ने स्वयं को बचाने के लिए आरिफ नाम के व्यक्ति के विरूद्ध शिकायत दर्ज कराने हेतु समस्त कार्यवाही फर्जी व झूठी की है। शपथकर्ता को प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा दिये गये टिकट व वीजा को स्वयं फर्जी होने का कथन अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० दिनांकित 07.05.2026 में अंकित किया है। प्रार्थी/अभियुक्त एक चालाक किस्म का व्यक्ति है और स्वयं को बचाने के लिए उसने ये सब कहानी झूठी बनाकर प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय मे दिया है। प्रार्थी/अभियुक्त अभी भी शपथकर्ता को मुकदमा वापिस ना लेने या फैसला ना करने पर जान से मारने की धमकी दे रहा है। उपरोक्त मामले की विवेचना चल रही है तथा दौरान विवेचना शपथकर्ता ने सही तथ्यो व कथनो से अपना प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर को दिनांक 20.05.2026 को बजरिये रजिस्ट्री भेजा था। यदि प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत प्रदान की गयी तो वह निश्चित रूप से उसका दुरूपयोग करके मुकदमे की विवेचना को प्रभावित करेगा। उपरोक्त कारणो से प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है। अतः अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त फरमा दिया जावे।

6. वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह कहा गया है कि अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्त के साथ मिलकर वादी की सऊदी अरब में नौकरी लगवाने की बात कहकर विभिन्न अवसरो पर उससे करीब एक लाख अट्ठानवे हजार रूपये ले लिये तथा पैसे वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी दी। अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।

7. अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज कराई गयी है। अभियुक्त ने वादी के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं की है। अभियुक्त निर्दोष है उसे जमानत प्रदान की जाये।

8. सुना तथा जमानत प्रार्थना पत्र व संलग्न प्रपत्रो का परिशीलन किया।

9— प्रपत्रों के अवलोकन से विदित है कि उक्त प्रकरण में अभी आरोपपत्र प्रेषित नहीं किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त पर सहअभियुक्त के साथ मिलकर वादी से सऊदी अरब में नौकरी लगवाने की बाबत उससे विभिन्न अवसरों पर वीजा व टिकट देने के नाम पर करीब 1,98,000/—रुपये तथा वादी का पासपोर्ट लेने, तथा वादी का फर्जी वीजा लैटर

व टिकट तैयार करने व पैसे वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। स्वतन्त्र गवाह मौ0 रफी ने भी दौरान विवेचना पुलिस को दिये गये बयानों में अभियुक्त द्वारा उसके लड़के वादी मौ0 नवाजिश की सऊदी अरब में नौकरी लगवाने की बात कहकर करीब 1,98,000/–रूपये लेने का कथन किया है तथा यह भी कथन किया है कि सह अभियुक्त द्वारा उसके पुत्र को फर्जी वीजा लैटर व टिकट भी दिया गया, तथा पैसे वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी भी दी गयी। इस प्रकार अभियुक्त पर अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर वादी से नौकरी लगवाने के नाम पर पैसे वसूलने तथा वीजा व टिकट की कूट रचना करने का अपराध प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है। अभियुक्त द्वारा यह कहा गया कि उसके खाते में शिकायतकर्ता द्वारा 64,000/–रूपये ट्रांसफर किये गये थे, परन्तु उसने वह पैसा आरिफ नाम के व्यक्ति को दे दिये थे। उल्लेखनीय है कि अभियुक्त अजीमुसान के विरूद्ध जो एफ0आई0आर0 दर्ज की गयी है, उसके बाद अभियुक्त द्वारा दिनांक 07.05.2026 को प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 174(4) बी0एन0एस0एस0 दिया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्त का भाई अहमद विदेश में नौकरी करता है, तो यह समझ से परे है कि अभियुक्त के भाई के विदेश में रहते हुए भी उसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से विदेश जाने के लिये क्यों कहा गया और जहां तक वीजा का फर्जी होने का प्रश्न है तो यह साक्ष्य का प्रश्न है। अभियुक्त द्वारा किया गया कृत्य आर्थिक अपराध की श्रेणी में आता है। मामले की विवेचना अभी प्रचलित है। उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुण–दोष पर टिप्पणी किये बिना अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त अजीमूसान की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 318(4), 336(3), 338, 340(2), 351(2) बी.एन.एस., थाना ककरौली, जिला मुजफ्फरनगर, मुकदमा अपराध संख्या 50/2026 में उपरोक्तानुसार निरस्त किया जाता है।

(श्रीमती रेखा सिंह)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–06, मुजफ्फरनगर।
(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06490